ANNEXURE- 2
1-3

From,

Ajai Kumar Srivastava-I, H.J.S.,
Registrar General,
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,

Sri Sanjiv Kumar,
Presiding Officer,
Motor Accident Claims Tribunal,
Barabanki.

No. 285/Admin.(Services)/2020, Dated Allahabad: July 30, 2020

Subject: Regarding your attachment with Hon'ble Commission constituted by Hon'ble Supreme Court dealing with the matter of killing of Vikas Dubey and his associates.

Sir,

I am directed to say that on the request made by the Government vide letter dated 27.07.2020, Hon'ble Court has been pleased to attach you with Hon'ble Commission constituted by Hon'ble Supreme Court of India vide Order dated 22.07.2020 passed in WP(S)(Criminal) No. (S)-177/2020 titled Ghanshyam Upadhyay Vs. State of U.P. and others.

I am, therefore, to request you to kindly report to the Hon'ble Commission accordingly.

Encl: As above.

Yours sincerely,

Sd/-

Registrar General

No. 285 (i)/Admin.(Services)/2020, Dated Allahabad: July 30, 2020

Copy forwarded to the Sri Avanish Kumar Awasthi, Additional Principal Secretary, U.P. Secretariat, Government of Uttar Pradesh, Lucknow.

Sd/-
(Atul Srivastava)
Registrar (J)(Services)

Self Attested
24.12.20

फैक्स

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश/समयबद्ध

संख्या- 1140 पी/छः-पु०-3-2020-82पी/2020 टीसी

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

गृह (पुलिस) अनुभाग-3

लखनऊः दिनांकः27 जुलाई, 2020

विषयः- विकास दुबे व उसके साथियों द्वारा दिनांक 02/03.07.2020 को 08 पुलिस कर्मियों की हत्या किये जाने एवं विकास दुबे एवं उसके अन्य साथियों के मुठभेड़ में मारे जाने आदि की जाँच हेतु न्यायमूर्ति डॉ0 बी0एस0 चौहान (मा0 पूर्व न्यायाधीश, मा0 उच्चतम न्यायालय) की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय आयोग के सहयोग हेतु जिला जज स्तर के एक सेवारत न्यायिक अधिकारी एवं लिपिकीय कार्य हेतु 02 स्टेनो (अंग्रेजी) सम्बद्ध किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में शासन की अधिसूचना संख्या-1082पी/छ-पु-3-2020-82पी/2020, दिनांक 23 जुलाई, 2020 (छायाप्रति संलग्न) एवं मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका (एस) (क्रिमिनल) संख्या (एस)-177/2020 घनश्याम उपाध्याय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.07.2020 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उल्लेखनीय है कि रिट याचिका (एस)(क्रिमिनल) संख्या (एस)-177/2020 घनश्याम उपाध्याय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 22.07.2020 को मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश का प्रभावी अंश निम्नवत् है:-

> "........We direct that the notification constituting the Commission and incorporating the Terms of Reference as approved by us, shall be issued immediately. The Commission shall **sit at Lucknow, Uttar Pradesh and start functioning within a period of one week from today.**
>
> It is made clear that the secretarial assistance for the Commission shall be provided by the Central Government, from such services/Departments as may be directed by the **Chairman of the Commission.** ...."

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में शासन की उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 23.07.2020 के माध्यम से जनपद कानपुर नगर में विकास दुबे व उसके साथियों द्वारा दिनांक 02/03.07.2020 को एक क्षेत्राधिकारी सहित 08 पुलिस कर्मियों की हत्या एवं विकास दुबे एवं उसके अन्य साथियों के मुठभेड़ में मारे जाने आदि की जाँच हेतु न्यायमूर्ति डॉ0 बी0एस0 चौहान (मा0 पूर्व न्यायाधीश, मा0 उच्चतम न्यायालय) की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय जाँच आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग का मुख्यालय लखनऊ में होगा।

न्यायालय) द्वारा आयोग के कार्यों में सहयोग हेतु जिला जज स्तर के एक सेवारत न्यायिक अधिकारी एवं लिपिकीय कार्य हेतु 02 स्टेनो (अंग्रेजी) सम्बद्ध किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

5. आपसे अनुरोध है कि कृपया मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से त्रिस्तरीय जाँच आयोग के सहयोग हेतु जिला जज स्तर के एक सेवारत न्यायिक अधिकारी एवं लिपिकीय कार्य हेतु 02 स्टेनो (अंग्रेजी) यथाशीघ्र सम्बद्ध किये जाने का अनुरोध करने का कष्ट करें, ताकि मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार दिनांक 22.07.2020 से एक सप्ताह के अन्दर आयोग द्वारा कार्य आरम्भ किया जा सके।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।